अररिया:

08 सितम्बर, 2022

बिहार में कई महीनों से नगर निकायों के आम चुनाव 2022 की घोषणा का लोग इंतजार कर रहे थे। चुनाव करवाने को लेकर आयोग काफी तीव्र गति से तैयारियों में लगा हुआ है। पिछले दिनों मतदाता सूची में सुधार का मौका दिया गया और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का भी मौका दिया गया। फिर पोलिंग बूथ का सर्वे कराया गया। इसी कड़ी में चुनाव को लेकर आयोग की कई दफा बैठक हुई। 8 सितंबर 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा नगर पालिका और नगर पंचायतों के आम चुनाव 2022 को लेकर मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षदों के लिए आरक्षित/आवंटित पदों की सूची जारी कर दी गई है।

काफी लंबे समय से लोगों को और भावी प्रत्याशियों को इस पल का इंतजार था। अब प्रत्याशियों का लोगों के बीच आना जाना फिर से शुरू हो गया है। और हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरह मतदाताओं को लुभा कर अपने पाले में कर लिया जाए। नए प्रत्याशी नए वादे कर रहे हैं तो वर्तमान वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद अपने द्वारा किए गए कार्यों को जनता को बता रहे हैं।

आयोग ने पत्र जारी कर बताया है कि, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 ( यथा संशोधित) की धारा-29 के प्रावधानों के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार नगर परिषद के आम निर्वाचन, 2022 के लिए निम्नांकित तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित नगरपालिका के उप-मुख्य पार्षद पद को स्तंभ 3 एवं 4 में उल्लिखित वर्ग के लिए आरक्षित / आवंटित करता है।

इस पत्र में आवंटित/आरक्षित पदों की सूची के साथ नगर पालिका के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद नगर पंचायत के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पदों के लिए कई स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं।

1. जिन नगरपालिका के सामने # चिन्ह लगा हुआ है उनका मुख्य पार्षद का आरक्षण / आवंटन दो क्रमिक निर्वाचन के अनुसार यथावत रखा गया है । इन नगरपालिका का आरक्षण का परिवर्तन उस नगरपालिका क्षेत्र के अगले निर्वाचन के समय किया जाएगा
2. अनारक्षित महिला का तात्पर्य किसी भी कोटि की महिला से है, अर्थात् किसी नगरपालिका का मुख्य पार्षद का पद यदि “अनारक्षित महिला” के लिए आरक्षित है तो उस पद के लिए किसी भी कोटि की महिला (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति की महिला सहित) निर्वाचित हो सकेगी।
3. “ अनारक्षित (अन्य ) “ स्थानों से किसी भी कोटि के महिला या पुरुष अभ्यर्थी हो सकते है।

हालांकि आयोग ने वर्तमान समय में अस्तित्व में सभी 88 नगर पालिकाओं और 154 नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षदों के आरक्षित / आवंटित पदों की सूची जारी की है, हम बिहार के सभी नगर पालिका और नगर पंचायत के साथ-साथ अररिया जिला के तीन नगर परिषद (अररिया, जोगबनी, फारबिसगंज) और तीन नगर पंचायत (जोकीहाट, नरपतगंज, रानीगंज) के लिए आयोग द्वारा जो आरक्षित/आवंटित पदों की जानकारी दी गई है अलग से एक pdf और पोस्टर तैयार कर आपके साथ साझा कर रहे हैं।

The Samvaad

# <u>अररिया जिला:</u> नगर पालिका मुख्य पार्षद पद (2022)

| क्रमांक | नगर पालिका का संख्या एवं नाम | कोटि जिस के लिए आरक्षित/अनारक्षित है | महिला के लिए आरक्षित/अन्य |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | 1. अररिया: अररिया | अनारक्षित | अन्य |
| 02 | 2. अररिया: जोगबनी | अनारक्षित | महिला |
| 03 | 3. अररिया: फॉरबिसगंज | अनारक्षित | महिला |

## नगर पालिका उप मुख्य पार्षद पद (2022)

| क्रमांक | नगर पालिका का संख्या एवं नाम | कोटी जिसके लिए आरक्षित/अनारक्षित है | महिला के लिए आरक्षित/अन्य |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | 1. अररिया: अररिया | पिछड़ा वर्ग | अन्य |
| 02 | 2. अररिया: जोगबनी | अनारक्षित | महिला |
| 03 | 3. अररिया: फॉरबिसगंज | अनारक्षित | महिला |

The Samwaad

## नगर पंचायत मुख्य पार्षद पद (2022)

| क्रमांक | नगर पंचायत का संख्या एवं नाम | कोटी जिसके लिए आरक्षित/अनारक्षित है | महिला के लिए आरक्षित/अन्य |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | 1. अररिया: जोकीहाट | अनारक्षित | महिला |
| 02 | 2. अररिया: नरपतगंज | अनुसूचित जाति | महिला |
| 03 | 3. अररिया: रानीगंज | अनुसूचित जाति | महिला |

## नगर पंचायत उप मुख्य पार्षद पद (2022)

| क्रमांक | नगर पंचायत का संख्या एवं नाम | कोटी जिसके लिए आरक्षित/अनारक्षित है | महिला के लिए आरक्षित/अन्य |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | 1. अररिया: जोकीहाट | अनारक्षित | महिला |
| 02 | 2. अररिया: नरपतगंज | अनुसूचित जाति | महिला |
| 03 | 3. अररिया: रानीगंज | अनुसूचित जाति | महिला |